

Food Safety and Standards Authority of India

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

(A Statutory Authority established under the Food Safety & Standards Act, 2006)

(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण)

2nd Floor, MMU Building, Mata Sundari Lane, Kotla Road, New Delhi-110 002

द्वितीय तल, एमएमयू भवन, माता सुंदरी लेन, कोटला रोड, नई दिल्ली – 110002

(Training Division)

(प्रशिक्षण प्रभाग)

Dated: 13th May, 2026**Subject: Training of Trainers (ToT) programme under FoSTaC-Reg.**

विषय: FoSTaC के अंतर्गत ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स (ToT) कार्यक्रम

Training Division, FSSAI has scheduled the Training of Trainers (ToT) program for various courses under the FoSTaC programme. Interested candidates may apply through the registration link mentioned in the table below. Please note that only the applications submitted through the link provided in the calendar will be considered.

प्रशिक्षण प्रभाग, FSSAI द्वारा FoSTaC कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स (ToT) कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित पंजीकरण लिंक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि केवल कैलेंडर में प्रदान किए गए लिंक के माध्यम से प्राप्त आवेदन ही विचारार्थ स्वीकार किए जाएंगे।

Quarterly training calendar (April to June, 2026) – Training of Trainers programme under FoSTaC

त्रैमासिक प्रशिक्षण कैलेंडर (अप्रैल से जून, 2026) – FoSTaC के अंतर्गत ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स (ToT) कार्यक्रम

S. No क्र. सं.	Name of the Course पाठ्यक्रम का नाम	Medium of Instruction प्रशिक्षण का माध्यम	Date of Training प्रशिक्षण की तिथि	Location of Training Venue* प्रशिक्षण स्थल का स्थान*	Registration Link पंजीकरण लिंक	Last date of Application आवेदन की अंतिम तिथि	Fee# शुल्क#
1	Advance Catering-General एडवांस कैटरिंग – सामान्य	English & Hindi अंग्रेजी एवं हिन्दी	29.06.2026	Delhi दिल्ली	https://forms.gle/PDtwepcVVM7GP1768	08.06.2026 5PM	INR 3000/-+GST
2	Basic Retail & Distribution-General बेसिक रिटेल एवं डिस्ट्रीब्यूशन – सामान्य	English & Hindi अंग्रेजी एवं हिन्दी	30.06.2026	Delhi दिल्ली	https://forms.gle/EtLX6v6Gy1sSC4LC8	09.06.2026 5PM	INR 3000/-+GST

****Training venue address will be intimated to the shortlisted participants one week before the Training program.***

Fee to be paid by shortlisted applicants who wish to attend the ToT programme.

*प्रशिक्षण स्थल का पता चयनित प्रतिभागियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम से एक सप्ताह पूर्व सूचित किया जाएगा।

ToT कार्यक्रम में भाग लेने के इच्छुक चयनित आवेदकों द्वारा शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

Note:

- i. Participants who are shortlisted for the ToT course will receive intimation via their registered email ID. After receiving this notification, they must make the payment and submit proof of payment through email. The payment link or instructions will be provided exclusively through the official email ID, fostac@fssai.gov.in.
- ii. The payment of Fees should be made using the FSSAI E-pay portal and to be made within 3 days of receiving shortlisting email.
- iii. If a shortlisted candidate for a particular course, after confirming participation, fails to attend the respective ToT course on the scheduled date, the fees paid will not be refunded.
- iv. A ToT course will accommodate a maximum of 20 participants. A minimum of 10 shortlisted participants is required to conduct the program. If this minimum is not met, FSSAI may cancel the scheduled ToT program at its discretion.
- v. The application link may be closed before the last date mentioned above, if enough number of eligible applications are received.
- vi. Merely attending a ToT program does not make any participant eligible to be empanelled as Trainer under FoSTaC program.
- vii. During ToT, only a brief training on the subject topic and trainer attributes will be provided through the empanelled faculties.
- viii. The candidates appearing for ToT program are expected to be good trainers of their respective fields and are expected to have good knowledge about the 'Schedule 4 requirements of Food Safety and Standards (Licensing and Registration of Food Businesses) Regulations, 2011'- so that they can impart their knowledge of 'Good Manufacturing Practices & Good Hygiene Practices (GMP & GHP) as per Schedule 4 requirements of Food Safety and Standards (Licensing and Registration of Food Businesses) Regulations, 2011' to the food handlers who would appear for the trainings under Food Safety Supervisor programs and can motivate them to adopt the hygiene practices in their day to day life. Also, candidates are expected to have good knowledge about FSS Act, FSS Rules and Regulations etc.
- ix. ToT program conducted will only be a detailed process of evaluation of candidates, who are eligible to become trainers to provide training to Food Handlers on Good Manufacturing Practices & Good Hygiene Practices in a pragmatic manner, under FoSTaC program of FSSAI.
- x. For any query regarding training program, please contact by dropping email to us on email id fostac@fssai.gov.in with subject **"ToT on <Name of the course> to be held on <date of training> in <location of training>"**
- xi. **Refer the eligibility criteria before applying any ToT program** which can be seen on first page of respective link of the course.

xii. The Training division reserves the right to cancel any ToT program at any stage without giving any intimation.

- i. ToT पाठ्यक्रम हेतु चयनित प्रतिभागियों को उनकी पंजीकृत ईमेल आईडी पर सूचना भेजी जाएगी। सूचना प्राप्त होने के पश्चात उन्हें शुल्क का भुगतान कर भुगतान प्रमाण ईमेल के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा। भुगतान लिंक अथवा निर्देश केवल आधिकारिक ईमेल आईडी fostac@fssai.gov.in के माध्यम से ही साझा किए जाएंगे।
- ii. शुल्क का भुगतान FSSAI ई-पे पोर्टल के माध्यम से किया जाना चाहिए तथा चयन संबंधी ईमेल प्राप्त होने के 3 दिनों के भीतर किया जाना आवश्यक है।
- iii. यदि किसी विशेष पाठ्यक्रम हेतु चयनित अभ्यर्थी सहभागिता की पुष्टि करने के पश्चात निर्धारित तिथि पर संबंधित ToT पाठ्यक्रम में उपस्थित नहीं होता है, तो जमा किया गया शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।
- iv. एक ToT पाठ्यक्रम में अधिकतम 20 प्रतिभागियों को सम्मिलित किया जाएगा। कार्यक्रम आयोजित करने हेतु न्यूनतम 10 चयनित प्रतिभागियों का होना आवश्यक है। यदि यह न्यूनतम संख्या पूरी नहीं होती है, तो FSSAI अपने विवेकानुसार निर्धारित ToT कार्यक्रम को निरस्त कर सकता है।
- v. यदि पर्याप्त संख्या में पात्र आवेदन प्राप्त हो जाते हैं, तो आवेदन लिंक उपर्युक्त अंतिम तिथि से पूर्व भी बंद किया जा सकता है।
- vi. केवल ToT कार्यक्रम में भाग लेने मात्र से कोई भी प्रतिभागी FoSTaC कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षक के रूप में पैनलबद्ध होने हेतु पात्र नहीं माना जाएगा।
- vii. ToT के दौरान, विषय-वस्तु तथा प्रशिक्षक गुणों पर केवल संक्षिप्त प्रशिक्षण पैनलबद्ध संकायों द्वारा प्रदान किया जाएगा।
- viii. ToT कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने-अपने क्षेत्र के कुशल प्रशिक्षक हों तथा उन्हें 'Food Safety and Standards (Licensing and Registration of Food Businesses) Regulations, 2011' के अनुसूची-4 की आवश्यकताओं का अच्छा ज्ञान हो, ताकि वे Food Safety Supervisor कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले खाद्य संचालकों को 'Good Manufacturing Practices (GMP) एवं Good Hygiene Practices (GHP)' का प्रभावी प्रशिक्षण प्रदान कर सकें तथा उन्हें दैनिक जीवन में स्वच्छता संबंधी प्रथाओं को अपनाने हेतु प्रेरित कर सकें। साथ ही, अभ्यर्थियों को FSS Act, FSS Rules एवं Regulations आदि का भी पर्याप्त ज्ञान होना अपेक्षित है।
- ix. आयोजित किया जाने वाला ToT कार्यक्रम केवल उन अभ्यर्थियों के विस्तृत मूल्यांकन की प्रक्रिया होगी, जो FoSTaC कार्यक्रम के अंतर्गत खाद्य संचालकों को व्यावहारिक रूप से Good Manufacturing Practices (GMP) एवं Good Hygiene Practices (GHP) का प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रशिक्षक बनने के पात्र हैं।
- x. प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित किसी भी प्रश्न हेतु कृपया fostac@fssai.gov.in पर ईमेल भेजें, जिसका विषय इस प्रकार हो: "ToT on <पाठ्यक्रम का नाम> to be held on <प्रशिक्षण तिथि> in <प्रशिक्षण स्थान>"।
- xi. किसी भी ToT कार्यक्रम हेतु आवेदन करने से पूर्व पात्रता मानदंड अवश्य देखें, जो संबंधित पाठ्यक्रम के लिंक के प्रथम पृष्ठ पर उपलब्ध हैं।
- xii. प्रशिक्षण प्रभाग किसी भी चरण में बिना कोई पूर्व सूचना दिए किसी भी ToT कार्यक्रम को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
